निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रांई
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :- 82/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 27.04.2017
निर्णय दिनांक :- 13.06.2017

उनवान

बाबूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी रावां तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
2. सूरजमल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी रावां तहसील छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 13.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 32 रकबा 08.02 बीघा, ख0नं0 39 रकबा 9.19 बीघा, ख0नं0 40 रकबा 04.17 बीघा, ख0नं0 202 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 203 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 205 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 680/30 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 681/31 रकबा 31 बीघा कुल किता 8 रकबा 63.08 बीघा मौजा रावां में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 13.05.2011 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 13.05.2011 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सूरजपुरा खुर्द संवत 2067-70 खाता संख्या 98 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम रावां संवत 2067–70 खाता संख्या 98 के ख0नं0 32 रकबा 08.02 बीघा, ख0नं0 39 रकबा 9.19 बीघा, ख0नं0 40 रकबा 04.17 बीघा, ख0नं0 202 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 203 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 205 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 680/30 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 681/31 रकबा 31 बीघा कुल किता 8 रकबा 63.08 बीघा बाबूलाल, सूरजमल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी रावां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रांई पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रावां के ख0नं0 32 रकबा 08.02 बीघा, ख0नं0 39 रकबा 9.19 बीघा, ख0नं0 40 रकबा 04.17 बीघा, ख0नं0 202 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 203 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 205 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 680/30 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 681/31 रकबा 31 बीघा कुल किता 8 रकबा 63.08 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

हीरालाल वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner